समक्ष एम. एम. *पुंछी, न्यायमूर्ति*

इंदर सिंह, *-याचिकाकर्ता।*

बनाम

कारागार महानिरीक्षक एवं अन्य,*-उत्तरदाताओं.*

1986 की संशोधित आपराधिक रिट याचिका संख्या 116

7 मई 1986.

पंजाब अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम (1962 *का XI) धारा* 3 (एल) (सी), *(ई) और* 4 - दोषी द्वारा धारा 3 (1) (सी) *के तहत पैरोल पर रिहाई के लिए आवेदन - उक्त आवेदन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने वाले कारागार महानिरीक्षक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया - कानून का कोई प्रावधान नहीं दर्शाया गया है कि* 3(एल)(सी) *के तहत राज्य सरकार की शक्तियां कारागार महानिरीक्षक को सौंपी गईं - कारागार महानिरीक्षक का पैरोल को अस्वीकार करने का आदेश - चाहे अधिकार क्षेत्र के बिना हो।*

अभिनिर्धारित कि पंजाब अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1962 की धारा 3 (एल) (डी) और 4 के तहत शक्तियां जेल महानिरीक्षक को सौंपी गई हैं। हालाँकि, अधिनियम की धारा 3(एल)(सी) के तहत शक्ति का कोई प्रत्यायोजन नहीं है और इस प्रकार जेल महानिरीक्षक का पैरोल कम करने का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है। (पैरा 2)

अनुच्छेद 226 *के तहत संशोधित याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहतें दी जाएं -*

(i) 3 फरवरी, 1986 के आदेश, अनुलग्नक 'पी-4' से संबंधित उत्तरदाताओं के रिकॉर्ड मंगाने के लिए सर्टिओरीरी *रिट की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए , और उसके अवलोकन के बाद, आदेश अनुलग्नक 'पी-4' को रद्द किया जाए;*

(ii) बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की एक रिट जारी की जाए जिसमें उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को छह सप्ताह की अवधि

के लिए पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया जाए;

(iii) कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो माननीय न्यायालय इस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे; और

(iv) याचिकाकर्ता को इस याचिका के समर्थन में हलफनामा दाखिल करने से छूट दी जाए, क्योंकि वह सेंट्रल जेल, अंबाला में बंद है ।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री मनोज स्वरूप, वकील ।

उत्तरदाताओं के लिए एजी, हरियाणा के वकील आरके हांडा /

निर्णय

एमएम पुंछी , माननीय न्यायाधीश - यह एक दोषी की याचिका है जिसने पंजाब अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1962 की धारा 3(1)(सी) और उसके तहत बनाए गए 1963 के नियमों के तहत पैरोल पर रिहाई की मांग की थी। उसके अनुरोध को 3 फरवरी, 1986 को जेल महानिरीक्षक, हरियाणा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मनोज स्वरूप द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 3(1)(सी) के तहत रिहाई प्राधिकारी अकेले राज्य सरकार थी और दोषी के मामले का कारागार महानिरीक्षक, हरियाणा (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा प्रतिकूल निपटान नहीं किया जा सकता था। । हालांकि उत्तर में, यह रुख अपनाया गया है कि वह उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए रिहाई प्राधिकारी है, फिर भी राज्य के विद्वान वकील कानून के किसी भी प्रावधान को इंगित करने में सक्षम नहीं हैं जहां राज्य सरकार की शक्ति के तहत हो सकता है कारागार महानिरीक्षक को सौंपा गया देखा गया। इसके विपरीत, उक्त अधिनियम की धारा 3(1)(ए) और धारा 4 के तहत शक्तियों के संबंध में इस आशय का एक प्रतिनिधिमंडल दिखाया गया है। अधिनियम की

धारा 3(1)(सी) के तहत शक्ति का कोई प्रत्यायोजन नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में, राज्य के विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि कारागार महानिरीक्षक, हरियाणा के आक्षेपित आदेश को वापस ले लिया गया माना जाएगा और एक वचन दिया गया है कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता के मामले पर स्वयं विचार करेगी।

3. ऊपर जो कहा गया है, उसके लिए यह याचिका स्वीकृति के योग्य होगी। इसकी अनुमति देते हुए आदेश दिया जाता है कि पैरोल पर रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विचार और निर्णय लिया जाए। तदनुसार आदेश दिया गया। कोई लागत नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा